प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 152/2005

दिनेशवर उर्फ मुन्ना

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश हेतु दिनांक 12.05.2006 के लिए सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 152/2005</u>

एकलपीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायमूर्ति

दिनेशवर उर्फ मुन्ना

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

अपीलार्थी की ओर से: –श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: –श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(**12 मई, 2006 को उद्घोषित**)

1. यह अपील श्री आर.पी. शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 401/2003 में दिनांक 27.1.2005 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को धारा 489–क, 489–ग, 489–घ और 120–ख भा. द. सं. के तहत दोष सिद्ध करते हुए क्रमशः 10 साल, 5 साल, के लिए सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है और प्रत्येक अपराध के लिए 200/– रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, चूक करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सह–अभियुक्त डॉ. अरुण सिन्हा, ओम प्रकाश, द्वारिका साहू और तुलसीराम साहू को दोषमुक्त कर दिया गया है।

2. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि श्री एस.के. दुबे, अ. सा. 11, थाना प्रभारी थाना मगरलोड को गुप्त सूचना मिली कि सह–अभियुक्त डॉ. अरुण सिन्हा के पास बड़ी मात्रा में कूटकृत करेंसी नोट हैं। उक्त सूचना पर, डॉ. अरुण सिन्हा से कूटकृत करेंसी नोट जब्त किए गए। डॉ. अरुण सिन्हा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, सह–अभियुक्त ओम प्रकाश से भी कूटकृत

करेंसी नोट जब्त किए गए। अभियुक्तों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने दिनांक 05.08.2003 को अपीलार्थी–दिनेशवर के घर की तलाशी ली और अखिलेश कुमार के कब्जे से एक प्रिंटर स्कैनर, कॉपियर मशीन कैबिनेट, एक इलेक्ट्रिक प्रेस, एक स्टील कटर, एक कैंची, गोंद का एक पाउच, एक लकड़ी का स्केल, एक प्लास्टिक रोल, 20 सफेद कागज की शीट, एक प्लास्टिक स्केल, 101 कूटकृत 100/– रुपये के नोट, जिनका सरल क्रमांक 2 आरडब्ल्यू570092 था, 8 कूटकृत 100/– रुपये के नोट, जिनका सरल ओएएस 894304 था, 3 कूटकृत 100/– रुपये के नोट, जिनका सरल क्रमांक 3 पीएम 874686 था, दो कूटकृत 100/– रुपये के नोट, जिनका सरल क्रमांक 40 सी977701 था, 5 कूटकृत 50/– रुपये के नोट, जिनका सरल क्रमांक 4 एमक्यू357820 था और 50 सादे कागज की शीटें, जिनमें से प्रत्येक के एक तरफ 100/– रुपये का कूटकृत नोट छपा हुआ था और एक सादे कागज की शीट, जिस पर 100/– रुपये के दो कूटकृत नोट छपे हुए थे, जिनका सरल क्रमांक 4 ए 5894304 था, प्रदर्श पी.13 के अनुसार जब्त किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. जब्त किए गए नोटों को पुलिस अधीक्षक, धमतरी द्वारा दिनांक 11.08.2003 के पत्र के माध्यम से महाप्रबंधक, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड को यह राय देने के लिए भेजा गया था कि जब्त किए गए नोट कूटकृत हैं या असली। दिनांक 04.09.2003 के प्रतिवेदन के अनुसार, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड द्वारा यह विशिष्ट राय नहीं दी गई थी कि नोट कूटकृत थे या नहीं। यह दिखाने के लिए कोई कारण नहीं बताए गए जैसे महात्मा गांधी के चित्र का उल्लेख नहीं किया गया कि नोट 100/– रुपये और 50/– रुपये के वास्तविक नोटों से मिलते–जुलते थे। न तो पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन और न ही करेंसी नोट प्रेस का प्रतिवेदन साक्ष्य में प्रस्तुत की गई और न ही प्रदर्शित की गई। दिनेशवर के घर से जब्त किए गए बताए गए नोटों को भी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और परिणामस्वरूप अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दौरान उन्हें वस्तुओं के रूप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया।

4. अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार नहीं किया, निर्दोष होने का दावा किया और बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों का परीक्षण कराया है। उप–निरीक्षक एस.के. दुबे अ. सा.11 और संतोष कुमार देशमुख अ. सा. 6 के बयान पर अवलंब करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

5. श्रीमती फौजिया मिर्जा, अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी की धारा 489–क, 489–ग, 489–घ और धारा 120–ख के तहत दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि न तो करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड की प्रतिवेदन साक्ष्य में प्रस्तुत की गई और न ही जब्त किए गए बताए गए वस्तुएँ, अर्थात् नोटों को अभियोजन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश और प्रदर्शित किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.13 यह नहीं दर्शाता है कि कोई कंप्यूटर या फोटोकॉपियर, जो नोटों की छपाई को सुविधाजनक बनाने के मुख्य उपकरण हैं, जब्त किए गए थे। यह भी तर्क किया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि दिनेशवर के घर से जब्त किए गए बताए गए नोट 100/– रुपये और 50/– रुपये के वास्तविक नोटों से मिलते–जुलते थे। अंत में, यह तर्क किया गया कि अभिकथन अनुसार अपीलार्थी दिनेशवर से जब्त किए गए नोटों को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश न करना अभियोजन को दूषित करता है। **के. हाशिम बनाम तमिलनाडु राज्य (2005) 1 सुप्रीम कोर्ट के मामले 237 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हाफिज मोहम्मद इस्माइल और अन्य ए.आई.आर. 1960 सुप्रीम कोर्ट 669** पर अवलंब किया गया। दूसरी ओर, श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने दोषपूर्ण निर्णय के समर्थन में तर्क दिया और **कर्नाटक राज्य बनाम के.एस. रामदास और अन्य 1976 क्रिमिनल एल.जे.228 और पोन्नुसामी बनाम राज्य 1995 क्रिमिनल एल.जे. 2658** पर अवलंब किया।

6. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अध्ययन किया है। भा. द. सं. की **धारा 28 कूटकरण**" शब्द की परिभाषा है, जो इस प्रकार है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"28."कूटकरण" – जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह सम्भाव्य जानते हुए करता है कि तद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह "कूटकरण" करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 1– कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो।

स्पष्टीकरण 2– जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सदृश्य ऐसा है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह यह सम्भाव्य जानता था कि एतद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. भा. द. सं. की धारा 489–क न केवल कूटकृति बनाने के पूर्ण कार्य से संबंधित है, बल्कि उन मामलों का भी सम्मिलित करती है जहां अभियुक्त कूटकृति बनाने की प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा करता है। इसलिए, यदि सामग्री यह दर्शाती है कि अभियुक्त ने जानबूझकर कूटकृत बनाने की प्रक्रिया का कोई भी कार्य किया। भा. द. सं. की धारा 489–क लागू हो जाती है। भा. द. सं. की धारा 489–ग कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों के कब्जे से संबंधित है। यह कूटरचित या कूटकृत करेंसी या बैंक नोटों के कब्जे को दंडनीय बनाता है। धारा 489–ग और 489–क भा. द. सं. के तहत अपराध गठित करने के लिए कब्जा और यह ज्ञान कि करेंसी नोट नकली थे, आवश्यक घटक हैं। भा. द. सं. की धारा 489–घ की शब्दावली बहुत व्यापक है और स्पष्ट रूप से ऐसे मामले को सम्मिलित करेगी जहां कोई व्यक्ति कूटकृत करेंसी नोट बनाने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले मशीनरी, उपकरण या सामग्री के कब्जे में पाया जाता है, भले ही इस तरह से पाई गई मशीनरी, उपकरण या सामग्री कूटकृत बनाने के उद्देश्य के लिए विशेष रूप से आवश्यक सामग्री न हों।

8. धारा 120–ख भा. द. सं. आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 120–क में दी गई "आपराधिक षड्यंत्र" की परिभाषा इस प्रकार है:

"120–क. जबकि दो या अधिक व्यक्ति –

(1) कोई अवैध कार्य, अथवा

(2) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड़यंत्र कहलाती है

परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड़यंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता।

एक आपराधिक षड्यंत्र के तत्वों को

(क) प्राप्त किया जाने वाला एक उद्देश्य,

(ख) उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन वाले एक योजना या उपाय,

(ग) दो या अधिक अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक करार या समझ, जिसके तहत वे करार में निहित साधनों द्वारा, या किसी भी प्रभावी साधन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, और

(घ) उस क्षेत्राधिकार में जहां विधि में एक स्पष्ट कार्य की आवश्यकता थी, के रूप में बताया गया है। एक आपराधिक षड्यंत्र का सार अवैध संयोजन है और आमतौर पर अपराध तब पूरा होता है जब संयोजन बनता है"।

9. धारा 28 में "कुटकृत " शब्द मूल की सटीक प्रतिकृति का अर्थ नहीं देता है। धारा 28 का स्पष्टीकरण 2 बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक खंडनीय अनुमान प्रदान करता है जहां सदृशता ऐसी हो कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है। ऐसे मामले में आशय या ज्ञान "रंग योग्य नकल" जैसा होता है। धारा 28 को लागू करने के लिए, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या एक चीज को दूसरी चीज के सदृश बनाया गया है और यदि ऐसा है और यदि सदृशता ऐसी है कि कोई व्यक्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उससे धोखा खा सकता है, तो आवश्यक आशय या ज्ञान का अनुमान होगा ताकि चीजों की कूटकृती की जा सके, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

10. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हाफ़िज़ मोहम्मद इस्माइल और अन्य ए.आई.आर.1960 669** सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था:

> "धारा 28 में बताए गए कूटकरण के मुख्य तत्व हैं (I) एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश बनाना, और (II) उस सदृशता के माध्यम से धोखा देने का आशय, या (III) यह जानना कि इस तरह से धोखा देने की संभावना है। इस प्रकार, यदि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश्य बनाया जाता है और आशय यह है कि ऐसी सदृश्यता से धोखा दिया जाएगा या यदि कोई आशय नहीं है लेकिन यह ज्ञात है कि सदृश्यता ऐसी है कि धोखा दिया जा सकता है, तो कूटकरण होता है। फिर धारा 28 का स्पष्टीकरण 1 आता है जो कहता है कि यह आवश्यक नहीं की नकल ठीक वैसी ही होनी चाहिए। आमतौर पर कूटकरण का अर्थ सटीक नकल होता है; लेकिन भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन के लिए कूटकरण हो सकता है भले ही नकल सटीक न हो और मूल और नकल के बीच विवरण में अंतर हो, जब तक कि सदृशता इतनी करीब हो कि धोखा दिया जा सके। फिर दूसरा स्पष्टीकरण आता है जो कहता है कि जहां सदृशता ऐसी है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है, तो यह तब तक माना जाएगा, जब तक इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि उस व्यक्ति ने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश बनाने का आशय उस सदृशता के माध्यम से धोखे का अभ्यास करने का था या यह जानता था कि इस तरह से धोखे का अभ्यास होने की संभावना है। यह स्पष्टीकरण एक खंडनीय उपधारणा प्रदान करता है जहां सदृशता ऐसी है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है। ऐसे मामले में आशय या ज्ञान तब तक उपधारित किया जाता है जब तक इसके विपरीत साबित न हो जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भा. द. सं. की धारा 28 के उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें 'छलपूर्ण अनुकृति' जैसे शब्दों को आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे लागू करने के लिए, न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश बनाया गया है, और यदि ऐसा है और यदि सदृशता ऐसी है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है तो उस चीज़ को कूटकृत बनाने के लिए आवश्यक आशय या ज्ञान का उपधारणा होगा,जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, इसलिए न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश बनाया गया है। यदि वह पाती है कि वास्तव में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश बनाया गया है, उन्हें यह भी तय करना होगा कि क्या सदृशता ऐसी है कि कोई व्यक्ति धोखा खा सकता है। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि सदृशता ऐसी है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है, तो वह आवश्यक आशय या ज्ञान का उपधारणा लगा सकती है (जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए) और कूटकृती बनाना तब पूरा हो जाएगा। इसलिए इस मामले में दो आवश्यक तत्व हैं (i) क्या अपीलार्थी द्वारा बनाए गए कूटकृत नोट वास्तविक नोटों के सदृश्य बनाए गए थे, और (ii) यदि वे ऐसे सदृश्य बनाए गए थे, तो क्या सदृश्यता ऐसी थी जो किसी व्यक्ति को धोखा दे सकती थी। यदि ये दोनों चीजें पाई गईं, तो इस मामले में नोट कूटकृत होंगे और आवश्यक आशय या ज्ञान की उपधारणा लगाया जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उपरोक्त मापदंड पर, इस अपील में विचार के लिए उठने वाला पहला प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी–दिनेशवर के घर में अखिलेश कुमार के कब्जे से जब्त किए गए नोट कूटकृत नोट थे और क्या वे कूटकृत नोट बनाने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली मशीनरी, उपकरण या सामग्री के कब्जे में पाए गए थे। अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि अपीलार्थी–दिनेशवर के घर के अंदर अखिलेश कुमार के कब्जे से जब्त किए गए नोट वास्तविक नोटों के सदृश्य थे और सदृश्यता ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति उससे धोखा खा सकता था। यह उपधारणा अभियोजन पक्ष द्वारा करेंसी–नोट प्रेस, नासिक रोड के प्रतिवेदन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत

करके या अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किए गए नोटों को न्यायालय में पेश और प्रदर्शित करके खारिज किया जा सकता है।

इस मामले में, अभियोजन पक्ष अपना भार पूरी तरह से निभाने में विफल रहा है। करेंसी–नोट प्रेस के प्रतिवेदन को न तो अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत और प्रदर्शित किया गया और न ही धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपीलार्थी से प्रश्न किया गया। इसलिए, यह कंडिका 1 (पूर्वोक्त) में उल्लिखित अपराधों के तहत अपीलार्थी को दोष सिद्ध करने का आधार नहीं बन सकता है। इसके अलावा, करेंसी–नोट प्रेस की प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि यह विशेष रूप से राय नहीं दी गई है कि करेंसी नोट असली करेंसी नोटों के सदृश्य थे। यह नहीं दर्शाता है कि नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र मुद्रित था या नहीं या नोटों में चांदी की रेखा मौजूद थी या नहीं। यह कोई विशेष राय नहीं देता कि नोट कूटकृत नोट थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि एक ही मूल्यवर्ग के सभी नोटों पर एक ही सरल क्रमांक मुद्रित था, इसलिए केवल उन नोटों को देखकर कोई भी यह पता लगा सकता था कि वे किसी भी तरह से असली नोटों से मिलते–जुलते नहीं थे। इस तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए कहा जाना चाहिए। नोटों को स्वीकार करते समय कोई भी नोटों के सरल क्रमांक को नहीं देखता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जो देखी जाती हैं वे हैं नोट का रंग, उस पर महात्मा गांधी का चित्र, नोट पर चांदी की रेखा और इस्तेमाल किया गया कागज। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस, नासिक की प्रतिवेदन उपरोक्त सभी बिंदुओं पर मौन है।

14. दूसरी ओर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों में बल है। करेंसी–नोट प्रेस, नासिक रोड की प्रतिवेदन में जांच के लिए भेजे गए नोटों का कोई विवरण नहीं दिया गया है जो यह दर्शाता हो कि ये नोट 100/– रुपये और 50/– रुपये के मूल्यवर्ग के वास्तविक नोटों से मिलते–जुलते थे। चूंकि करेंसी–नोट प्रेस, नासिक रोड की प्रतिवेदन न तो साक्ष्य में प्रस्तुत और प्रदर्शित की गई और न ही धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपीलार्थी को उसकी परीक्षा में पूछा गया

है, यह प्रतिवेदन अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। अपीलार्थी के घर से जब्त किए गए नोटों को पेश न करना भी अभियोजन मामले में एक गंभीर त्रुटि पैदा करता है और यह नहीं माना जा सकता कि जो नोट छापे जा रहे थे या अखिलेश कुमार के कब्जे से जब्त किए गए थे वह अपीलार्थी दिनेशवर के घर से वास्तविक नोटों के सदृश थे या कूटकृत करेंसी नोट थे।

15. संतोष कुमार देशमुख अ. सा. 6 की गवाही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जब पुलिस ने परिसर की तलाशी ली, तो वह प्रिंटिंग मशीन के पास बिल्कुल अकेला था। यह भी प्रतीत होता है कि उसे पुलिस ने दो दिनों तक थाना में हिरासत में रखा था। उसकी गवाही से यह भी नहीं पता चलता कि कथित मशीनरी या नोटों की जब्ती के समय दिनेशवर या अखिलेश कुमार साहू मौजूद थे, प्रदर्श पी.13 के अनुसार। यह उप–निरीक्षक अनूप नाग अ. सा. 8 की गवाही को संदिग्ध बनाता है कि उसने अखिलेश कुमार साहू से नकली नोट छापने के उपकरण जब्त किए थे। यह ध्यान देना सुसंगत है कि उप–निरीक्षक अनूप नाग अ. सा. 8 ने अपनी गवाही के कंडिका 2 में यह भी उल्लेख नहीं किया है कि जब्त किए गए नोट और नकली नोट किस प्रकार वास्तविक नोटों के सदृश्य थे। उनके गवाही के कंडिका 13 में यह संदेह पैदा होता है कि जब्त किए गए नोट और मुद्रण सामग्री संबंधित थाना के मालखाना में जमा की गई थी। मालखाना रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं की गई है। जहां तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों का संबंध है, इस्लाम खान अ. सा. 1, जितेंद्र कुमार अ. सा. 2, गिरधारीलाल अ. सा. 3, टीकाराम वर्मा अ. सा. 4 और रामकुमार सिंह अ. सा. 5 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **हाफ़िज़ मोहम्मद इस्माइल (पूर्वोक्त)** के मामले में, अभियुक्त द्वारा अपने साबुन पर इस्तेमाल किए गए कूटकृत लेबल और रैपर की शिकायतकर्ता कंपनी के सनलाइट और लाइफबॉय साबुन के वास्तविक लेबल और रैपर से तुलना के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनके बीच सदृश्यता ऐसी थी जो किसी व्यक्ति को धोखा दे सकती थी और विवरण में अंतर ने सदृशता को प्रभावित नहीं किया। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के घर से जब्त किए गए

बताए गए नोटों को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने की परवाह नहीं की और उप–निरीक्षक अनूप नाग अ. सा. 8 की गवाही में कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे यह पता चले कि जो नोट थे हो ज़ब्त किए गए नोट असली करेंसी नोटों के सदृश थे। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थी ने अखिलेश कुमार के साथ कूटकृत नोट छापने का षड्यंत्र रचा था।

17. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, निम्नलिखित बिंदु उभर कर आते हैं:

क. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी के घर से कथित तौर पर ज़ब्त किए गए नोट असली करेंसी नोटों के सदृश थे और कूटकृत करेंसी नोट थे।

ख. अभियोजन पक्ष यह भी स्थापित करने में विफल रहा है कि जिन नोटों का एक तरफ आधा मुद्रण एक सादे कागज की शीट पर था, वे किसी भी तरह से असली करेंसी नोटों के सदृश थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ग. अभियोजन पक्ष ने ज़ब्त किए गए करेंसी नोटों को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया और उन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित भी नहीं किया।

घ. करेंसी–नोट प्रेस, नासिक रोड का प्रतिवेदन न तो साक्ष्य में प्रस्तुत की गई और न ही प्रदर्शित की गई। इसमें यह निष्कर्ष निकालने का कोई कारण भी नहीं दिया गया कि जांच के बाद नोट असली करेंसी नोटों के सदृश थे। इसे धारा 313 दं.प्र.सं के तहत अपीलार्थी से पूछा भी नहीं गया था।

ड. करेंसी नोटों की जब्ती के स्वतंत्र गवाहों ने उप–निरीक्षक अनूप नाग अ. सा. 8 की गवाही का समर्थन नहीं किया।

च. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करे कि अपीलार्थी ने अखिलेश कुमार के साथ कूटकृत करेंसी नोट छापने और प्रसारित करने का आपराधिक षड्यंत्र रचा था।

उपरोक्त के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी–दिनेशवर के साथ–साथ सह–अभियुक्त अखिलेश कुमार साहू पर धारा 489–क, 489–ग, 489–घ और 120–ख भा. द. सं. के तहत

आरोप साबित करने में विफल रहा है। वर्तमान अपील अपीलार्थी– दिनेशवर @ मुन्ना द्वारा दायर की गई है। चूंकि सह–अभियुक्त अखिलेश कुमार साहू का मामला अपीलार्थी–दिनेशवर के सदृश ही हैं, मेरी राय में, न्याय के हित में, सह–अभियुक्त अखिलेश कुमार साहू भी इस निर्णय का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इस संबंध में, **वजरापु सम्बय्या नायडू और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2003 क्रिमिनल एल.जे. 4433 और गुरुचरण कुमार और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2003) 2 एससीसी 698** का अवलंब किया गया है।

18. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी– दिनेशवर और सह–अभियुक्त अखिलेश कुमार साहू को धारा 489–क, 489–ग, 489–घ और 120–ख भा. द. सं. के तहत की गई दोषसिद्धि और उसके तहत दिए गए दंड को आपस्त किया जाता है। अपीलार्थी–दिनेशवर @ मुन्ना और सह–अभियुक्त अखिलेश कुमार साहू को दोषमुक्त किया जाता है और उन्हे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो। यदि कोई जुर्माना अदा किया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
12.05.2006

अस्वीकरणः

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ... ... MANISH CHANDRAKAR